

PART - II
HARYANA GOVERNMENT
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 16th May, 2023

No. Leg. 20/2023.— The following Ordinance of the Governor of Haryana promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, on the 12th May, 2023, is hereby published for general information:-

HARYANA ORDINANCE NO. 2 OF 2023
THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2023
AN
ORDINANCE

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Promulgated by the Governor of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India.

Whereas the Legislature of the State of Haryana is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby promulgates the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2023. Short title.
2. In section 6 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act),- Amendment of section 6 of Haryana Act 16 of 1994.
 - (i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-
“(1) The total number of seats for each Corporation shall be fixed by the Government on the basis of the population drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date, as may be notified by the Government:
Provided that where the population as drawn from Family Information Data Repository is less than 140 per centum of the number of electors registered in such areas as per the last published Electoral Roll, then the population equal to 140 per centum of the number of voters in the electoral roll of the area shall be considered.
Illustration.- (i) Where the population as per Family Information Data Repository is 150 and the number of voters in a ward as per the last published electoral roll is 100, the population after 140 per centum comes to 140. In this case, the population as per Family Information Data Repository shall be considered being higher.
(ii) Where the population as per Family Information Data Repository is 125 and the number of voters in a ward as per the last published electoral roll is 100, the population after 140 per centum comes to 140. In this case, the population as per last published electoral roll shall be considered being higher.”;
 - (ii) in sub-section (4), for the figure “10”, the figure “20” shall be substituted;
 - (iii) in sub-section (5), for the words “Backward Classes”, the words, signs and alphabet “Backward Classes ‘A’ ” shall be substituted;
 - (iv) explanation existing at the end shall be omitted.
3. In section 11 of the principal Act,- Amendment of section 11 of Haryana Act 16 of 1994.
 - (i) in sub-section (3), for the figures, brackets, signs and word “(1), (2) and (4)”, the figures, brackets and word “(1) and (2)” shall be substituted;

(ii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(4) (a) The seats shall be reserved for the Backward Classes ‘A’ in every Corporation and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in that Corporation as one-half of the proportion of Backward Classes ‘A’ population to the total population in that Corporation and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more; and such seats shall be allotted by draw of lots among three times of the number of seats, proposed for reservation of Backward Classes ‘A’, after excluding those seats already reserved for Scheduled Castes, drawn from those seats which are having the largest percentage population of Backward Classes ‘A’ and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that the Corporation shall have at least one member belonging to the Backward Classes ‘A’ if their population is two per centum or more of the total population of the Corporation:

Provided further that where the number of seats so reserved for Backward Classes ‘A’ under this sub-section added to the number of seats reserved for the Scheduled Castes exceeds fifty per centum of the total number of seats in that Corporation, then the number of seats reserved for the Backward Classes ‘A’ shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the seats reserved for the Backward Classes ‘A’ and Scheduled Castes not exceeding fifty per centum of the total seats in that Corporation.

Explanation.- (1) For the purposes of reservation of Backward Classes ‘A’ under this sub-section, the population of the Municipal Corporation area and the population of Backward Classes ‘A’ in that Municipal Corporation shall be such as drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date, as may be notified by the Government.

Explanation.- (2) For the purposes of the second proviso, fifty per centum of the total seats in the Corporation shall be taken as one-half of the total seats of the Corporation rounded up to the next higher integer where the decimal value is 0.5 or more or rounded down to the next lower integer where the decimal value is less than 0.5.

(b) Not less than one-third of the total number of seats reserved under this sub-section shall be reserved for women belonging to the Backward Classes ‘A’ and such seats may be allotted by rotation and by lots amongst the wards reserved under this sub-section.”;

(iii) in sub-section (5), for the words “Backward Classes”, the words, signs and alphabet “Backward Classes ‘A’ ” shall be substituted;

(iv) in sub-section (7), the sign, figure and brackets “, (4)” shall be omitted.

CHANDIGARH:
THE 12TH MAY, 2023.

BANDARU DATTATRAYA
GOVERNOR OF HARYANA

.....
BIMLESH TANWAR,
Administrative Secretary to Government, Haryana,
Law and Legislative Department.

भाग-II

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 जून, 2023

संख्या लैज. 20/2023.— दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2023 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 08 जून, 2023 की स्वीकृति के अधीन एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त ऑर्डिनन्स का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023

हरियाणा नगर निगम अधिनियम,

1994, को आगे संशोधित

करने के लिए

अध्यादेश

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. यह अध्यादेश हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 में,— 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 6 का संशोधन।
 - (i) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1) प्रत्येक निगम के लिए सीटों की कुल संख्या, ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या के आधार पर सरकार द्वारा नियत की जाएगी :

परन्तु जहाँ परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत से कम है, तो क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत के बराबर जनसंख्या पर विचार किया जाएगा।

उदाहरण.—(i) जहाँ परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या 150 है और अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या 100 है, तो 140 प्रतिशत के बाद की जनसंख्या 140 हो जाती है। इस मामले में, परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या, अधिक होने के कारण विचार में ली जाएगी।

(ii) जहाँ परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या 125 है और अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या 100 है, तो 140 प्रतिशत के बाद की जनसंख्या 140 हो जाती है। इस मामले में, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जनसंख्या, अधिक होने के कारण विचार में ली जाएगी।”;
 - (ii) उप-धारा (4) में, “10” अंक के स्थान पर, “20” अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (iii) उप-धारा (5) में, “पिछड़ी जाति” शब्दों के स्थान पर, “पिछड़े वर्ग ‘क’ ” शब्द, चिह्न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (iv) अन्त में विद्यमान व्याख्या का लोप कर दिया जाएगा।

1994 के
हरियाणा
अधिनियम 16
की धारा 11 का
संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(i) उप-धारा (3) में, “(1), (2) तथा (4)” कोष्ठकों, अंकों, चिह्न तथा शब्द के स्थान पर, “(1) तथा (2)” कोष्ठक, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(4) (क) प्रत्येक निगम में, पिछड़े वर्ग ‘क’ के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस निगम में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस निगम की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग ‘क’ की जनसंख्या के अनुपात की आधी होंगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी; तथा अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को निकालने के बाद, ऐसी सीटें, उन सीटों, जिनमें पिछड़े वर्ग ‘क’ की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, से प्राप्त की गई पिछड़े वर्ग ‘क’ के आरक्षण हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या की तीन गुणा में से द्वा ऑफ लॉटस द्वारा आर्बिट्रि की जाएंगी तथा उत्तरवर्ती चुनावों में भी चक्रानुक्रम द्वारा भी आर्बिट्रि की जाएंगी:

परन्तु निगम में कम से कम एक सदस्य पिछड़े वर्ग ‘क’ से सम्बन्धित होगा, यदि उनकी जनसंख्या, निगम की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है:

परन्तु यह और कि जहाँ इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग ‘क’ के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस निगम में सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्ग ‘क’ के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्ग ‘क’ तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस निगम में कुल सीटों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.—(1) इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग ‘क’ के आरक्षण के प्रयोजन हेतु, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगर निगम में पिछड़े वर्ग ‘क’ की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।

व्याख्या.—(2) द्वितीय परन्तुक के प्रयोजन हेतु, निगम में कुल सीटों का पचास प्रतिशत, जहाँ दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित करते हुए अथवा जहाँ दशमलव मान 0.5 से कम है, तो निकटतम निम्न पूर्णांक तक पूर्णांकित करते हुए निगम की कुल सीटों के आधे के रूप में लिया जाएगा।

(ख) इस उप-धारा के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई सीटें, पिछड़े वर्ग ‘क’ से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटों को इस उप-धारा के अधीन आरक्षित वार्डों में से चक्रानुक्रम द्वारा और लॉटस द्वारा आर्बिट्रि किया जा सकता है।”;

(iii) उप-धारा (5) में, “पिछड़ा वर्गों” शब्दों के स्थान पर, “पिछड़े वर्ग ‘क’ ” शब्द, चिह्न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) उप-धारा (7) में, “(4)” चिह्न, कोष्ठकों तथा अंक का लोप कर दिया जाएगा।

नरेन्द्र सुरा,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।